मु०न 35/10 गंगाधर बनाम जमादिन

दिनांक	आज्ञा पत्र
28-2-19 7-3-19	पत्रावली पेश। प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि इस अपील में दिनांक 08.03.2017 को रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने के लिए अपीलांट को आदेशित किया गया था न्यायालय के आदेश के उपरान्त 7 दिवस में न्यायालय के आदेश की पालना आवश्यक है अपीलांट ने इस आदेश की पालना आज दिनांक तक नही की है। अत अपील इसी स्तर पर खारिज की जायें। इस आवेदन की नकल वकील अपीलांट को दी गई वकील अपीलांट ने इसका कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। फलतः आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि यह अपील सन 2010 से लम्बित है अपीलांट अपील के प्रति गम्भीर नही है न्यायालय के द्वारा आदेशिका पर बार–बार आदेश देने के उपरान्त भी रजिस्टर्ड नोटिस पेश नही किये गये है। आवेदक द्वारा दिनांक 30.01.2019 को यह आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त भी आज दिनांक तक रजिस्टर्ड नोटिस पेश नही किये है। अत अपील आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार इसी स्तर पर खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलाट ने तर्क दिया कि दिनाक 24.01.2019 को उनके द्वारा साधारण नोटिस पेश किये गये है प्रकरण में कायम मुकाम की कार्यवाही भी लम्बित है अपीलांट आगामी तिथि पर रजिस्टर्डड नोटिस पेश कर देगें। आवेदन खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। यह अपील दिनांक 07.06.2010 से लम्बित चल रही है तब से आज दिनांक तक 94 तारिख पेशी नियत हो चुकी है प्रकरण में दिनांक 12.09.2018 को अपीलांट को रजिस्टर्डड नोटिस पेश करने की हिदायत दी गई थी एव यह भी अंकित किया गया था कि रजिस्टर्डड नोटिस पेश नही करने पर आदेश 9 नियम 5 के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। इसके उपरान्त दिनांक 09.01.2019 को पुन इस हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। इसके उपरान्त भी अपीलांट द्वारा नोटिस पेश नही करने का दिनांक 30.01.2019 को रेस्पोडेंट की ओर से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है इसके उपरान्त भी 2 तारिख पेशी दिनांक 06.02.2019, 13.02.2019 एव दिनांक 25.02.2019 तक अपीलांट द्वारा रजिस्टर्डड नोटिस पेश नही किये गये है अपीलांट की यह

दिनांक	आज्ञा पत्र	

कार्यवाही यह स्पष्ट जाहिर करती है कि अपीलांट अपील के प्रति गम्भीर नही है लापरवाह है न्यायालय द्वारा बार–बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेंट का आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

7/2/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)